

UPKS060006792022



न्यायालय सिविल जज(क० श्रे०) त्वरित न्यायालय-II, कौशाम्बी
उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
मूल वाद संख्या- 388/2002

राम भवन उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री शीतल प्रसाद निवासी ग्राम नौढ़िया करेटी परगना कड़ा,
पोस्ट कोखराज, तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

... .. वादी

बनाम

1. फूल चन्द्र उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र राम विशाल,
2. ओम प्रकाश उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र राम विशाल,
3. राजेश उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र राम विशाल,
4. मुकेश उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र राम विशाल,
5. रंगबाज उम्र लगभग 18 वर्ष पुत्र श्री राम विशाल,
6. राम विशाल उम्र लगभग 65 वर्ष पुत्र श्री बेनी प्रसाद,
7. सदा शिव उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र श्री बैजनाथ,

समस्त निवासीगण मौजा नौढ़िया करेटी परगना कड़ा पोस्ट कोखराज,
तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

... .. प्रतिवादीगण

—:निर्णय:—

01. प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया है।
02. वादी का वाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा नौढ़िया करेटी, परगना कड़ा, तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की पुरानी आबादी नम्बर-140 में वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित भूमि पर वादी की चारों ओर से पक्की चहार दीवारी घिरी हुयी है। जो चारों तरफ से लगभग 8 फुट ऊँची है और यह वादी की भूमि जमीन्दारी विनाश के पूर्व से आबादी की भूमि है और इसके अन्दर वादी का एक पक्का मकान बना है जो खपरैल से छाया हुआ है और जिस पर वादी का पश्चिम की ओर एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है और दक्षिण की ओर एक गेट और एक दरवाजा है। वादी का एक खपरैल का मकान नक्शा नजरी में अक्षर अ, ब, स द से प्रदर्शित है। वादी की इसी भूमि में 5 पेड़ महुआ के मौजूद है जो कि वास्तव में वादी की आबादी की भूमि में स्थित है। लेकिन यह

राजाराम पाण्डेय के खुदरा वृक्ष थे अतः कानूनन उन्हीं का अधिकार था। अतः वादी ने अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित भूमि में स्थित इस पेड़ों के मालिक राजा राम पाण्डेय से सन 1990 में बजरिये रजिस्टर्ड बैनाम खरीद लिया और वादी इन वृक्षों पर भी बतौर मालिक काबिज व दखील है। वादी की उपरोक्त आबादी से मिली हुयी भूमि के पश्चिम 22 हाथ चौड़ी और 39 हाथ लम्बी खाली भूमि पड़ी है जो वास्तव में वादी की भूमि थी लेकिन गाँव में पंचायतन वह प्रतिवादीगण फूलचन्द्र व प्रतिवादी संख्या-2 को दे दिया था क्योंकि उनके पास रहने का स्थान कम था और इस खाली भूमि के पश्चिम अक्षर त, थ, द, ध से नक्शा वाद पत्र में प्रदर्शित स्थान को भूमि पर प्रतिवादी संख्या-1 व 2 का मकान स्थित है। प्रतिवादी संख्या-1 व 2 शरारती तथ्य है उनके साथ प्रतिवादी संख्या-3 लगायत 7 का एक बहुत बड़ा गिरोह है। वादी को नुकसान पहुंचाने की गरज से वादी की अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित स्थान वादपत्र में उठी हुयी बाउन्ड्री को तोड़कर जबरजस्ती कब्जा करना चाहते हैं और वादी के पेड़ों को जबरजस्ती लाठी व तमन्चा के जोर से काट लेना चाहते हैं जो कि वादी के मर्जी के विरुद्ध और गैर कानूनी है।

03. वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि नक्शा नजरी में अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित भूमि पर वह जमीन्दारी विनाश के पूर्व से काबिज व दखील चले आ रहा है। उस पर वादी की पक्की बाउन्ड्री बनी हुयी है और वादी धारा- 9 उ०प्र० ज०वि०अधि० उक्त आबादी की भूमि के स्वामी व काबिज है और उस पर स्थित खुदरे पेड़ों पर बजरिये रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर बतौर स्वामी काबिज व दखील और उन्हें अधिकार है कि यह बजरिये अदालत प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को अदालत द्वारा मना करवा दें कि वह वादी के अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित पक्की बाउन्ड्री से घिरी हुयी भूमि पर कब्जा व दखल करने से व पेड़ों को काटने से रोकवा दें। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 लाठी डण्डा लेकर वादी के दरवाजे पर चढ़ आये और उन्होंने वादी को धमकाया कि वादी के पास रहने की जमीन बहुत ज्यादा है और प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पास जमीन बहुत कम है। एक मकान इस दावा वाली सम्पत्ति से कुछ दूर पर आबादी में स्थित है और दूसरा मकान इस वाली सम्पत्ति के दक्षिण पश्चिम 8 फुट की दूरी पर स्थित है जो नक्शा नजरी वाद पत्र के अक्षर घ, प, फ, ब से तथा अक्षर वादी का दूसरा मकान शब्द से प्रदर्शित है। वादी के पास तीन मकान है, अतः वादी उपरोक्त अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित बाउन्ड्री से घिरी भूमि को प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के हाथ बेंच दे वरना जबरन वादी के मकान की बाउन्ड्री को तोड़ कर प्रतिवादी संख्या-1 व 2 का कब्जा व दखल करा देंगे और उस पर स्थित पेड़ों को भी काट लेंगे। वादी पेशे से अध्यापक है और शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा अकेला है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या-1 लगायत 7 वादी पर नाजायज दबाव डालकर अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित भूमि जबरन छीनना चाहता है।

04. प्रतिवादीगण 1 व 2 के बयान तहरीरी से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादी के दावा को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं और उन्होंने बयान तहरीरी दाखिल करने के बाद संशोधन के द्वारा सुखाधिकार कर अधिकार का नया केस लाये हैं। वादी अपना दावा केवल

आ०नं० 140 के अंश जो नक्शा नजरी वाद पत्र पूर्ण विवरण के साथ प्रदर्शित है। उसकी दक्षिणी लम्बाई जो वादी की बाउन्ड्री है केवल 39 हाथ यानी अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार 79 फिट है। इस लम्बाई से उक्त नक्शा नजरी वाद पत्र में अब स्पष्ट रूप से संशोधन के पश्चात यह स्पष्ट किया है। वादी की दावा वाली सम्पत्ति अखर क, ख, ग, घ से दक्षिण की ओर नक्शा नजरी वादपत्र में जो स्थान ग, च से प्रदर्शित है वह वादी के दावा में आज तक सम्मिलित नहीं है न तो अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट में शामिल है। यह 8 फुट की चौड़ाई की खाली भूमि रास्ते के रूप में इस्तेमाल होती हैं जिसका उपयोग व उपभोग रास्ते के रूप में वादी अपने दूसरे मकान के लिए और प्रतिवादीगण-1 व 2 अपने मकान से आने जाने के लिए उपभोग व उपयोग करते हैं। वादी अपने दावा में 8 फुट चौड़ी जो नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर ग, च जमीन से प्रदर्शित है, प्रतिवादी के सुखधिकार को मानता है और इस 8 फुट चौड़े रास्ते पर अपना भी सुखधिकार चाहता है।

05. वाद का कारण दिनांक 30.06.2002 को प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 7 द्वारा वादी के अक्षर क, ख, ग, घ नक्शा नजरी वाद पत्र में प्रदर्शित स्थान पर उपरोक्त प्रकार से जबरन कब्जा करने की धमकी देने के दिन और नाजायज दबाव बनाने के दिन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हुआ और आज भी जारी है क्योंकि प्रतिवादीगण किसी भी समय वादी को उक्त सम्पत्ति पर बाउन्ड्री तोड़कर कब्जा कर सकते हैं। इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

06. वादी द्वारा याचना की गयी कि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को मना किया जावे कि वह मौजा नौढ़िया करेटी, परगना कड़ा, तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी में स्थित वादी की आबादी की भूमि जो पक्की बाउन्ड्री से घिरी हुयी है तथा नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित है, वादी के कब्जा व दखल में कभी भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें और न ही वादी की बाउन्ड्री गिराये।

07. प्रतिवादीगण की ओर से अपना जबावदादा कागज संख्या 21 क दाखिल कर कथन किया गया कि वादी ने वादपत्र के साथ जो नक्शा नजरी प्रस्तुत किया है बिल्कुल गलत व भ्रामक है। प्रतिवादीगण अपने प्रतिवादपत्र के साथ मौके पर एक सही नक्शा संलग्न किया है जिसमें प्रतिवादीगण के मकानात एवं आबादी जिससे प्रतिवादीगण पूर्व के समय से आबाद है की भूमि जिसे वादी नाजायज तरीके से हड़प करना चाहता है, को यथास्थान पर प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में वादी का हिरायशी वादग्रस्त भूमि से काफी दूर गाँव में स्थित है वादग्रस्त भूमि के पास प्रतिवादीगण के मकान हैं। दक्षिण वादी द्वारा कब्जा किया गया आबादी भूमि में जो मकान बनाया है उसे प्रतिवादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण के मकानात का सेहन दरवाजा जानिब पूरब स्थित है तथा दरवाजे के सामने ही जानिब पूरब प्रतिवादीगण की सेहन भूमि स्थित है। जिसे प्रतिवादीगण अपने उठने बैठने व जानवारों को बांधने आदि के उपयोग व उपभोग जर्मीदारी उन्मूलन के पूर्व से बराबर करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के उक्त मकान में नाबदान का पानी आदि भी जानिब पूरब से निकलकर आगे जाकर दक्षिण स्थित पक्की सड़क मार्ग से होकर बाहर निकलता है।

आराजी संख्या- 140 आबादी जिसमें प्रतिवादीगण पूर्व के समय से आबाद हैं, की भूमि है जिसमें बहुत पुराने वृक्ष कायम हैं। जिन वृक्षों से राजाराम पुत्र राम भरोस से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं था। जो आबादी की भूमि संख्या- 140 जो प्रतिवादीगण के आबादी का अंश है, को नाजायज तरीके से हड़प करने के लिए उसमें स्थित वृक्षों को राजाराम पुत्र राम भरोस से फर्जी व नुमाइशी तरीके से अपने हक में बैनामा करवा लिया गया होगा जो बिल्कुल गलत है।

08. प्रतिवादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा वर्ष 1994 से प्रतिवादीगण के मकान के जानिब पूरब स्थित सेहन भूमि को नाजायज तरीके से हड़प करने के लिए आबादी की भूमि संख्या-140 में अवैध तरीके से नींव खोद कर बाउन्ड्री खड़ी करना शुरू किया था जिस पर दिनांक 28 जनवरी 1994 को तत्कालीन परगना मजिस्ट्रेट, सिराथू मौके पर जाकर वादी मुकदमा द्वारा अवैध रूप से करायी जा रही बाउन्ड्रीवाल को ध्वस्त करवा दिया तथा प्रतिवादीगण से आबादी की भूमि को खाली करवा दिया। मौके पर की गयी कार्यवाही की छाया प्रति संलग्न है। वास्तव में प्रतिवादीगण के मकान का सेहन दरवाजा जानिब पूरब मर्जीदारी उन्मूलन पूर्व से स्थित चला आ रहा है और प्रतिवादीगण मौके पर आज भी उसे बतौर सेहन व पठार व जानवार बाधने में प्रयोग में बराबर कर रहे हैं। जिसमें प्रतिवादीगण धारा 9 जर्मीदारी उन्मूलन के अन्तर्गत उसके सथायी व मालिक हो गये हैं। वादी मुकदमा प्रतिवादीगण को मकान के जानिब पूरब स्थित सेहन भूमि को व शेष आबादी की भूमि को नाजायज तरीके से मुकदमा की आड़ में हड़प करना चाहता है। मौके पर वादी मुकदमा का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा दखल नहीं था और न आज ही है। वादी मुकदमा मुकदमों की आड़ से प्रतिवादीगण के मकान के सामने जानिब पूरब सेहन भूमि में अवैध तरीके से बाउन्ड्री खड़ी करके प्रतिवादीगण के मकान के आवागमन के एक मात्र रास्ते को अवरुद्ध करना चाहते हैं एवं प्रतिवादीगण के मकान के नाबदान को अवैध रूप से अवरुद्ध करना चाहते हैं। वाद का कोई भी कारण नहीं उत्पन्न हुआ है। इस कारण दावा वादी निरस्त किये जाने योग्य है।

09. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 03.07.2012 को विरचित किये गये:-

1. क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति वर्णित वाद पत्र अक्षर क, ख, ग, घ का स्वामी व काबिज दखील है ?
2. क्या वाद अल्पमूल्यांकित तथा न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
3. क्या दावा वादी धारा-331 उ 0 प्र 0 जर्मीदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?
4. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से बाधित है?
5. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० से बाधित है?
6. क्या दावा में गांव सभा आवश्यक पक्षकार है?
7. क्या दावा वादी धारा-49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है?
8. क्या दावा परिसीमा अधिनियम से बाधित है?

9. क्या प्रतिवादी धारा-35 ए से विशेष हर्जा पाने का अधिकारी है?

10. अनुतोष?

10. न्यायालय द्वारा दिनांक-30.07.2013 को अतिरिक्त वाद बिन्दु विरचित किये गये-

अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 11.- क्या प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से होकर आने जाने का रास्ता का सुखाधिकार प्राप्त है?

अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 12.- क्या वादी ने दौरान मुकदमा विवादित भूमि की पश्चिमी व दक्षिणी लाइन पर पक्की दीवार बनाकर प्रतिवादीगण को रास्ता के सुखाधिकार से वंचित कर दिया है?

11. वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 122 ग से नकल सत्यापित प्रति बैनामा दिनांकित 19.09.1990 रजिस्ट्रीकृत दिनांक 04.10.1990 दाखिल किया गया है। मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्लू-1 के रूप में रामभवन का साक्ष्य शपथपत्र 120 क, पी0 डब्लू-2 भुइयादीन का साक्ष्य शपथपत्र 124 क व पी0 डब्लू0 3 राधेश्याम का साक्ष्य शपथ 125 क दाखिल किया गया तथा साक्षी पी0 डब्लू-1 रामभवन व पी0 डब्लू- 2 भुइयादीन व पी0 डब्लू0 3 राधेश्याम से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादीगण द्वारा की गयी है।

12. प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई भी प्रलेख दाखिल नहीं किया गया है।। मौखिक साक्ष्य में डी0 डब्लू-1 फूलचन्द्र का साक्ष्य शपथ पत्र 128 क, साक्षी डी0 डब्लू-2 बुधराम का साक्ष्य शपथ पत्र 129 क व डी0 डब्लू0-3 जगन्नाथ का साक्ष्य शपथ पत्र 130 क दाखिल किया गया। जिससे वादी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

13. पत्रावली में अधिवक्ता आयुक्त की आख्या कागज संख्या -38 क दिनांकित- 11.09.2008 उपलब्ध है, जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक- 10.04.2018 को किया जा चुका है।

14. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

:- निष्कर्ष:-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 01-

15. वाद बिन्दु संख्या-01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति वर्णित वाद पत्र अक्षर क, ख, ग, घ का स्वामी व काबिज दखील है?

16. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक, काबिज व दखील है। वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में वादी का खपरैल मकान स्थित है। वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि पांच पेड़ महुआ वादी की आबादी में स्थित है, जिसे वादी ने राजा राम पाण्डेय से क्रय किया था। प्रतिवादीगण द्वारा इसके विपरीत यह कथन किया गया है कि वादी का हिरायशी वादग्रस्त भूमि से काफी दूर गाँव में स्थित है। वादग्रस्त भूमि के पास प्रतिवादीगण के मकान हैं। आराजी संख्या- 140 आबादी जिसमें प्रतिवादीगण पूर्व के समय

से आबाद हैं, की भूमि है जिसमें बहुत पुराने वृक्ष कायम हैं। जिन वृक्षों से राजाराम पुत्र राम भरोस से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं था।

17. वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति वादी की जमीन्दारी विनाश के पूर्व से आबादी की भूमि है। किन्तु इसके विपरीत वादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वादी ने वादग्रस्त सम्पत्ति को राजाराम पाण्डेय से सन 1990 को जरिए बैनामा क्रय किया है। अतः स्वयं वादी द्वारा अपने वाद पत्र में ही विरोधाभाषी अभिकथन किये गये हैं। एक ओर वादी वादग्रस्त सम्पत्ति को जमींदारी विनाश के पूर्व से प्राप्त होना बताया गया है दूसरी ओर वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को राजाराम पाण्डेय से क्रय किया बताया जाता है। विक्रय के संबन्ध में वादी के द्वारा बैनामा दिनांकित-19.09.1990 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई है। किन्तु वादी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विक्रेता राजाराम पाण्डेय को यह भूमि कैसे प्राप्त हुई है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नज़री में भी विक्रेता राजाराम पाण्डेय का मकान व भूमि दर्शाई नहीं गई है। वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि विक्रेता राजाराम पाण्डेय की सेहन व बाग के रूप में दर्ज है, यह वाद पत्र में कहीं नहीं दर्शाया गया है।

18. बैनामा दिनांकित-19.09.1990 में यह उल्लिखित किया गया है कि-

"विक्रीत दरख्तान स्थित ग्राम नौडिया करेठी परगना कडा तहसील सिराथू जिला इलाहाबाद नौ पेड़ महुआ सीमा में जिसके पूरब गवर्नमेन्ट हेन्ड पाइप व मकान मिट्टी लाल पश्चिम मकान राम विशाल व मकान राम भवन उत्तर मकान भगवत प्रसाद व हरिश्चन्द्र दक्षिण रास्ता आम बादहू तालाब चार पेड़ों की उम्र 10 वर्ष है व पाँच पेड़ों की उम्र दो वर्ष की है दरख्तान रीठे हैं बढत सही तौर पर नहीं होती है इसलिये कि जमीन अच्छी नहीं है 4 पेड़ मोटे लगभग 8 इंच है और पांच पेड़ों की मोटाई लगभग 16 इंच है लकड़ी ज्यादा से ज्यादा 20 कुन्तल होगी दरख्तान की बाजारी कीमत अधिक से अधिक 4000/- दरख्तान काटे नहीं जायेंगे कायम रहेंगे पेड़ अभी फ़ल नहीं देते मफ़रूजा मुनाफा 10/- सालाना है।"

19. बैनामा में वर्णित शब्द 'दरख्तान' का हिन्दी अर्थ 'पेड़' होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बैनामा मात्र नौ पेड़ों के संबन्ध में किया गया है।

20. वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्लू-1 के रूप में रामभवन, पी0 डब्लू-2 भुइयादीन, पी0 डब्लू0 3 राधेश्याम का साक्ष्य शपथ प्रस्तुत किया गया है। वादी पी0 डब्लू-1 रामभवन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि इसी आबादी भूमि मे 5 पेड़ महुवा के हैं जिसे वादी ने पंजीकृत बैनामा से सन 1990 में खरीदा है। किन्तु वादी रामभवन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि विवादित जमीन में नौ पेड़ थे। विवादित सम्पत्ति को मैंने राजाराम पाण्डेय से खरीदा है। वादी द्वारा बैनामा के विषय वस्तु के संबन्ध में मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में विरोधाभाषी अभिकथन किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नज़री कागज संख्या-4 क/8 में वादग्रस्त सम्पत्ति के दक्षिण वादी का दूसरा मकान दर्शाया गया है, किन्तु इसके विपरीत वादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया

गया है कि बैनामा में विक्रीत सम्पत्ति के दक्षिण आम रास्ता वादहू तालाब जो लिखा है, वह सही लिखा है। तालाब के दक्षिण हमारा कोई मकान नहीं है, न हमने तालाब को पाटा है। वाद पत्र में जो नक्शा 4 क/8 लगा है, वह गलत है। अतः वादी द्वारा स्वयं अपने अभिकथनों का समर्थन नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रति परीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि राजाराम पुत्र राम भरोस से मैने 9 पेड खरीदा था, जमीन नहीं खरीदा था। अतः यहां यह भी स्पष्ट है कि वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वादी ने जमीन नहीं खरीदी है। इसके विपरीत वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को जरिए विक्रय विलेख अर्जित किया जाना बताया गया है।

21. साक्षी पी०डब्ल्यू० 2 भुइयादीन ने अपनी प्रति परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि विवादित जमीन को राजाराम ने रामभवन को बेचा है, इसके विपरीत वादी रामभवन द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादी ने पेड खरीदा था, जमीन नहीं। साक्षी पी०डब्ल्यू० 3 राधेश्याम ने अपनी प्रति परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि महुआरी बाग के दक्षिण रास्ता के बाद उसके दक्षिण पटेलों का मकान व प्रजापति का मकान है। रामभवन का मकान नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने भी वादी द्वारा वाद पत्र में किये गये अभिकथनों का समर्थन नहीं किया है।

22. जैसा कि विदित है कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101** के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। निश्चय ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को वाद स्वयं सिद्ध करना होता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गुरमुख राम मदन बनाम भगवानदास मदन, AIR 1998 SC 2771** में अवधारित किया गया है कि—

"वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना चाहिए। उसे प्रतिवादी की असफलता के कारण स्वमेव सफल नहीं माना जायेगा। वादपत्र के कथनों को साबित करने का भार वादी पर अधिक होता है। वादी को अपना वाद स्वयं के साक्ष्य और अभिकथनों के आधार पर साबित करना होता है न कि प्रतिवादीगण की त्रुटियों का लाभ लेकर।"

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह, (2006) 5 SCC 558, के पैरा 10, 11 व 14** में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि—

"अभिकथन साक्ष्य नहीं हैं। वादी को अपने साक्ष्य द्वारा सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी वादी की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है जिसके उपरांत ही धारा 102, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत सबूत का भार प्रतिवादी पर होगा। मात्र अपने अभिकथनों के आधार पर वादी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके प्रतिवादी के मध्य एक प्रत्यायी रिश्ता है।"

24. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषण व विवेचन के उपरांत न्यायालय का मत है कि वादी अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से विवादित सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल को साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद बिन्दु संख्या-01 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02-

25. वाद बिन्दु संख्या-02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्पमूल्यांकित तथा न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

26. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक - 03.08.2012 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03-

27. वाद बिन्दु संख्या-03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी धारा-331 उ० प्र० जर्मीदारी विनाश अधिनियम से बाधित है?

28. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक - 07.11.2012 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04-

29. वाद बिन्दु संख्या-04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से बाधित है?

30. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन कागज संख्या- 21 क की धारा-26 में यह कथन किया है कि वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से बाधित है।

31. उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आदेश-7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधान से वादी का वाद बाधित है। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादपत्र में यह नहीं बताया है कि आदेश-7 नियम 11 सी०पी०सी० के किस उप-खण्ड (Sub clause) से प्रस्तुत वाद बाधित है और न ही इस पर बल दिया गया है। अतः उपरोक्त आधार वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० से बाधित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण उक्त वाद बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

32. अतः वाद बिन्दु संख्या-04 नकारात्मतः निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05-

33. वाद बिन्दु संख्या-05 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० से बाधित है?

34. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन कागज संख्या- 21 क की धारा-25 में यह कथन किया है कि वादी का दावा आदेश 7 नियम सी०पी०सी० से बाधित है।

35. यहाँ आदेश 7 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख आवश्यक होगा, जो निम्नरूपेण है-

जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है - जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है वहाँ वादपत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जहाँ ऐसी संपत्ति की पहचान भू -व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी

अभिलेख में की सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे।

36. उक्त वर्णित विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० के संबन्ध में वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति को देखा जाना होता है, जिसको सीमाओं या संख्याओं के द्वारा उसकी पहचान की जा सके। वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नज़री में वादग्रस्त सम्पत्ति को सीमाओं से दर्शाया गया है एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त के संबन्ध में इसके विपरीत ऐसा कोई सारवान साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

37. अतः वाद-बिन्दु संख्या-05 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 06-

38. वाद बिन्दु संख्या-06 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा में गांव सभा आवश्यक पक्षकार है ?

39. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त के संबन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय आदेश दिनांकित-10.01.2013 के अनुक्रम में प्रतिवाद पत्र कागज संख्या-21 क से शब्द 'गांव सभा' विलोपित किया गया है। उक्त वाद बिन्दु के संबन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई सारवान साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया गया है।

40. अतः वाद बिन्दु संख्या-06 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 07-

41. वाद बिन्दु संख्या-07 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी धारा-49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है?

42. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन कागज संख्या- 21 क की धारा-28 में यह कथन किया है कि वादी का दावा धारा-49 चकबन्दी अधिनियम से बाधित है।

43. उक्त के संबन्ध में प्रतिवादीगण एवं वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति आबादी भूमि है। आबादी भूमि की चकबन्दी नहीं की जाती। कृषि भूमि की चकबन्दी होती है। प्रतिवादीगण उक्त वाद बिन्दु को साबित करने में असफल रहें हैं।

44. अतः वाद-बिन्दु संख्या-07 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 08-

45. वाद बिन्दु संख्या-08 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा परिसीमा अधिनियम से बाधित है?

46. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त वाद बिन्दु के संबन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा मात्र अभिकथन किया गया है।

47. अतः वाद-बिन्दु संख्या-08 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 09-

48. वाद बिन्दु संख्या-09 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादी धारा-35 ए से विशेष हर्जा पाने का अधिकारी है?

49. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण मे अपने लिखित कथन कागज संख्या- 21 क की धारा-30 में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण धारा-35 ए सी०पी०सी० के अंतर्गत विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं।

50. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। यहां धारा 35 ए सी.पी.सी. का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा-

Section 35A C.P.C. :-

Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses.

(1) If any suit or other proceedings 2[including an execution proceedings but 3[excluding an appeal or a revision]] any party objects to the claim of defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, 4[if it so thinks fit] may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an Order for the payment the object or by the party by whom such claim or defence has been put forward, of cost by way of compensation.

(2) No Court shall make any such Order for the payment of an amount exceeding 5[three thousand rupees] or exceeding the limits of it pecuniary jurisdiction, whichever amount is less: Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887) 6[or under a corresponding law in force in 7[any part of India to which the said Act does not extend]] and not being a Court constituted 8[under such Act or law], are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this section any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees:

Provided, further, that the High Court may limit the amount or class of Courts is empowered to award as costs under this Section.

(3) No person against whom an Order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him.

(4) The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defence shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defence.

51. उक्त धारा के अभिपठन से यह निष्कर्षित है कि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह उक्त धारा के अंतर्गत पक्षकारों को कोई अनुतोष प्रदान करे अथवा नहीं। प्रत्येक निरस्तीकृत वाद झूठा व फ़र्जी ही नहीं होता। कई बार वादी अपने अधिकारों के लिये न्यायालय आता है और यदि वह मुकदमा हार जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसका वाद झूठे व फ़र्जी तथ्यों पर आधारित था। प्रस्तुत प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता कि वाद झूठे व फ़र्जी तथ्यों पर आधारित था।

52. तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-09 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या -11 व 12-

53. अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-11 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से होकर आने जाने का रास्ता का सुखाधिकार प्राप्त है? व अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 12 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी ने दौरान मुकदमा विवादित भूमि की पश्चिमी व दक्षिणी लाइन पर पक्की दीवार बनाकर प्रतिवादीगण को रास्ता के सुखाधिकार से वंचित कर दिया है?

54. उक्त वाद बिन्दुओं को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर सुखाधिकार प्राप्त होने का अभिकथन किया गया है, किन्तु उक्त के संबन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

55. तदनुसार अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-11 व अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या 12 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 10-

56. वाद बिन्दु संख्या-10 इस आशय का विरचित किया गया है कि अनुतोष?

57. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर बल दिया है और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1 न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि वादी मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता

है कि वादी किसी अन्य अनुतोष को भी पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादी मुख्य अनुतोष को ही अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

58. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु सं० 1 लगायत 10 व अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-11 व 12 पर दिए गए निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा वादी अपने किसी भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से उक्त अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया गया है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किए जाने योग्य है।

:-आदेश:-

59. प्रस्तुत मूल वाद संख्या-388/2002 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वादव्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ़्तर हो।

दिनांक- 15.02.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय-II,
कौशाम्बी

J.O. Code- UP3792

60. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक- 15.02.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय-II,
कौशाम्बी

J.O. Code- UP3792